

24 05  
24

पत्रावली पैरा हुई। कुलाय उप।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व कुलाय की बटस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। आदेश पत्रे TDR वाली व समस्त संबंधित की पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार हीकर नम्बर से कम हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 113

दायरा तिथि : 21.03.2024

आदेश तिथि : 24-05-24

प्रार्थी :-

श्रीमती पवनी देवी पत्नी स्वर्गीय गुलाब रामजी जाति प्रजापत निवासी खीमेल तहसील बाली जिला पाली (राज.)

अप्रार्थी :-

व नाम

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 24-05-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 869/1 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 870 रकबा 0.3200 हैक्टर व खसरा नंबर 871 रकबा 0.6200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/99 दिनांक 15.04.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि खसरा नंबर 869/1 में प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मुख्य सड़क या कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि ग्राम फालना गांव में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किरम	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
	870	0.32 हैक्टर	बारानी दायम	56x9.14= 511.84 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
	871	0.62 हैक्टर	बारानी दायम	96x9.14= 877.44 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम फालना गांव की डी.एल.सी. दर 394816 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023 / 166

अनवान पवनी देवी बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 869/1 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/99 दिनांक 15.04.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 869/1 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम फालना गांव पटवार हल्का फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर 870 रकबा 0.3200 हैक्टर व खसरा नंबर 871 रकबा 0.6200 हैक्टर में से 1381 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति वर्ग मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 398416/-रुपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
870	0.32 हैक्टर	56x9= 504 वर्गमीटर	40	20160 X2=40320	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
871	0.62 हैक्टर	96x9= 864 वर्गमीटर	40	34560X2=69120	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 1,09,440/- (अक्षरे एक लाख नौ हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र ) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/615-619

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, फालना गांव
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती पवनी देवी पत्नी स्वर्गीय गुलाब रामजी जाति प्रजापत विवासी खीमेल तहसील बाली को सूचनार्थ।

(दिनेश विरगई),  
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
दिनांक : 28-5-24

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली